<u>प्रेस नोट</u>

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 24.10.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 425/26 धारा-338/336(3)/340(2)/ 352/351(3)/318(4) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक शर्मा पुत्र सूरज शर्मा निवासी ग्राम-इंदिरानगर थाना पड़ुआ जिला लखीमपुर खीरी (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अ0सं0-65/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त अजर पुत्र पर्वेश निवासी अपसरिया थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 117/26 धारा 115(2)/105 BNS से सम्बन्धित अभियुक्त विमलेश पुत्र लल्लू राम निवासी ग्राम खासबरा थाना राजपुर कानपुर देहात मूल पता ग्राम तारसोल थाना सिरसा कलार जनपद जालौन उम्र लगभग 35 वर्ष (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 363/26 धारा 137(2)/87/64(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोपाल तिवारी पुत्र अवधेश तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी हीरो एजेंसी के पीछे आंबेडकर नगर थाना अकबरपुर (वांछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त *जीतू पुत्र शिवप्रसाद निवासी ग्राम भोगनियापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 33 के कब्जे से 19* अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 337/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा *अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र रजोल निवासी ग्राम वार्ड नं0 01 निराला नगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 29 वर्ष के कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में* गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 356/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त *रज्जन पुत्र हीरा निवासी केसरी निवादा कंजड डेरा भेवान थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष के कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में* गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 357/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।